RAJYA SABHA

Friday, the 6th August, 2010/15th Sravana, 1932(Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Universal food entitlement

*181. PROF. ALKA BALRAM KSHATRIYA: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether the National Advisory Council (NAC) has recommended extension of universal food entitlement to one-fourth of the poorest districts or the poorest blocks in the country;

(b) if so, the reaction of Government on the recommendation;

(c) whether the implementation of food entitlement would be extended to other schemes; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The National Advisory Council (NAC) has not made any recommendation to the Government.

(c) and (d) In view of the above, does not arise.

प्रो. अलका क्षत्रिय : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि देश के गरीब और हाशिये पर खड़े लोगों को आर्थिक विकास का लाभ मिल सके और देश की बढ़ती आबादी को भोजन मिल सके, इसके लिए सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लाना चाहती है? अगर हां, तो सरकार की खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ किसको देने की मंशा है? क्या मौजूदा सालाना दो प्रतिशत के कृषि उत्पादन के ग्रोथ रेट से यह संभव है? क्या सरकार ने इसका कोई आकलन किया है?

श्री शरद पवार : महामहिम राष्ट्रपति जी की पार्लियामेंट में जो स्पीच हुई थी, उसमें सरकार की नीति साफ बतलायी गयी थी। स्पीच के मुताबिक यह बात सदन के सामने रखी गई थी कि देश की जो below poverty line

पॉपुलेशन है, उसे wheat and rice तीन रुपये किलो के हिसाब से 25 किलो तक देने की नीति पर यह सरकार अमल करेगी। सरकार की thinking इस लाइन पर जाने की है, मगर सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह 25 किलो होगा, 30 किलो होगा या फिर 35 किलो होगा। इस पर राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति नहीं है। सरकार यह करना चाहती है, वह बिल लाना चाहती है और इसके बारे में राज्य सरकार और बाकी संगठनों के साथ सलाह-मशविरा करने की प्रक्रिया चल रही है।

प्रो. अलका क्षत्रिय : सर, मैंने पूछा था कि क्या मौजूदा ग्रोथ रेट के आधार पर यह संभव है, उसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया। मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न यह पूछना चाहती हूं कि योजना आयोग के अनुमान के अनुसार, अनाज से लदे ट्रकों से करीब दो फीसदी अनाज तय स्थानों तक पहुंचने से पहले गायब हो जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार कानून का उल्लंघन करने वालों और घोटाले करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक सुविधाओं के क्रियान्वयन के प्रति जवाबदेही तय करने का प्रावधान इस विधेयक में रखना चाहती है या नहीं? इसके साथ ही, लक्षित परिवार तक पहुंचने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है? उन्हें सब्सिडी देने का जो प्रावधान है, क्या उसमें फेरबदल करने का भी विचार है?

श्री शरद पवार : जहां तक पहले सवाल का संबंध है, भारत सरकार ने दोनों सदनों के सदस्यों के सामने जो commitment की थी, उस पर अमल करने के लिए जितने अनाज की आवश्यकता है, उतनी उपलब्धि अपने देश में आज भी है और यह रहेगी, यह हमारा विश्वास है, इसमें कमी नहीं आएगी। जहां तक बंटवारे की बात है, इस बारे में एक बात ध्यान में रखनी होगी कि Public Distribution System में कुछ भारत सरकार की जिम्मेदारी है और कुछ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार की एक जिम्मेदारी किसानों को ठीक तरह से अनाज की कीमत देना, उनसे अनाज खरीदना और प्लानिंग कमीशन की जो सिफारिश है, उसके आधार पर इसका आबंटन करना है। तो procurement and allocation to the states, यहां तक भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभायेगी।

जहां तक खेत के बाद परिवार के घर में अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी की बात है, इसका पूरा बंदोबस्त राज्य सरकार को करना पड़ता है और इसमें जो कुछ गलत काम होते हैं, उसकी शिकायत जाती है। इसे दुरुस्त करने के लिए हमने देश के सभी खाद्य मंत्रियों और देश के सभी खाद्य सचिवों के साथ दो-तीन बार बैठकर सुझाव दिए हैं और हम यह अपेक्षा करते हैं कि इस पर वे अमल करेंगे और ऐसी समस्या को कम करने के लिए भारत सरकार को सहयोग देंगे।

श्री ब्रजेश पाठक : सभापति जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस गंभीर प्रश्न पर सप्लीमेंटरी पूछने का मौका दिया। देश में जितने गरीब लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, उनको भोजन मिलने के हक का जो सवाल है, उसके तहत इस देश में BPL सूची बनी, लेकिन जो सूची बनी, वह आधी-अधूरी थी। इसलिए केन्द्र सरकार ने इसके बारे मे विचार करने के लिए सक्सेना समिति और तेंदुलकर समिति का गठन किया और उन्होंने पाया कि हिंदुस्तान में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुत से लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, जिनको दोनों समय का भोजन नहीं मिल रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जो 1.06 करोड़ लोगों की BPL सूची है, क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार के इस अनुरोध पर विचार करेंगे कि जो गरीब लोग इस सूची में शामिल नहीं हैं, उनको भी इस सूची में शामिल किया जाए?

श्री शरद पवार : सभापति जी, BPL, AAY & APL की सूची बनाने की जिम्मेदारी प्लानिंग कमीशन को दी गई थी। एक साल पहले देश के चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में कई राज्यों ने यह डिमांड की थी कि इसमें बदलान करने की आवश्यकता है, इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, जिस पर भारत सरकार ने विचार किया और प्लानिंग कमीशन को यह जिम्मेदारी सौंप दी। प्लानिंग कमीशन की तरफ से मुझे बताया गया कि तेंदुलकर समिति की जो recommendations हैं, उनके आधार पर एक महीने में नई सूची बनाई जाएगी और हर राज्य में कितने लोग BPL में आएंगे, AAY में आएंगे, APL में आएंगे, यह संख्या हर राज्य को बताई जाएगी। मैं इतना ही भरोसा दिलाना चाहता हूं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो या कोई भी राज्य हो, प्लानिंग कमीशन पुरानी सूची में सुधार करके जो अंतिम फिगर्स हमारे पास देगा, जो नए आंकड़े देगा, उसको मद्देनजर रखते हुए, भारत सरकार उनके लिए आबंटन की जिम्मेदारी लेगी और प्लानिंग कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य सरकारों को अनाज देने का प्रबंध करेगी।

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, the World Food Summit held in 1996, known as Rome Declaration on World Food Security, passed a resolution that "We the heads of the State and Government...reaffirm the right of everyone to have physical and economic access to safe and nutritious food, consistent with the right of adequate food and the fundamental right of everyone to be free from hunger". India is one of the signatories to this Declaration. I would like to know, through you, Sir, when is the Government of India going to ratify this through an Act and provide safe food to each and every Indian, whether he is a poor or a middle class person or a person living above poverty line at affordable prices?

SHRI SHARAD PAWAR: If he recollects the statement of the hon. President in the last Parliamentary Session, the hon. President said 'food for all and at special rates for those who are below poverty line'. So, the Government of India's total approach is to take the responsibility of food for all, and special precaution will be taken for the section which is vulnerable.

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जिस बात का उल्लेख किया था, क्या देश के तीन-चौथाई जिलों में 3 रुपए प्रति किलो के मूल्य पर 35 किलो अनाज देने के बारे में केन्द्र सरकार विचार कर रही है? चाहे राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अपनी सिफारिश की हो या न की हो, लेकिन क्या माननीय मंत्री जी इस पर निर्णय लेने की स्थिति में हैं? आपने बताया कि प्लानिंग कमीशन से BPL और APL के बारे में जानकारी ली जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनाज का भंडार काफी है और अनाज के गोदामों में अनाज सड़ रहा है। जब अनाज की कमी नहीं है, तो सरकार का जो निर्णय है कि देश के तीन चौथाई जिलों में लोगों को 25 किलो अनाज 3 रुपए प्रति किलो की दर से देंगे, उस पर सरकार अमल करने की दिशा कब तक विचार करेगी?

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, it is the desire of the Government of India to introduce the scheme, if possible, with effect from 2nd October, 2010

Winding up of National Means-cum-Merit Scholarship Scheme

*182. SHRI NAND KUMAR SAI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government proposes to wind up the corpus of Rs. 1000 crore under the National Means-cum-Merit Scholarship Scheme;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor;

(c) the details of alternative arrangements made by Government to fund the scholarships and related expenditure under the said scheme; and

(d) the number of students benefited so far under the scheme since its inception?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.